

2026/40

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1958 के नियम 138 के अन्तर्गत)

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

राजस्व ग्राम <u>शिवोद</u> पंचमं <u>शिवोद</u> भूअंनियुक्त <u>शिवोद</u> तहसील- <u>शिवोद</u>						
क्र. सं.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा इंच/घं	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	वि०दि०
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	456	1016 खसरा किता 6	0.3920 2.3015	मानाराम पुत्र श्रीराम भारति गारासिया मा. देह रहन- MGB सांगपुर	मानाराम पुत्र श्रीराम भारति गारासिया मा. देह रहन रामशान ठाणीका बँड शाखा सांगपुर।	

मुताबिक मिसल/जमाबंदी संपन्न 2075/2076, जमाबंदी 2076 से 2077 के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 138 राज० भू० राजस्व अधिनियम 1958 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर के समक्ष श्रवण योग्य है।

साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खातों में शुद्धि किया जाना उचित है।

प०हल्का शिवोद भूअंनियुक्त शिवोद की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण बन्दोबस्त सक्रियताओं के दौरान/पूर्व का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर को सादर प्रेषित है।

प०हल्का शिवोद भूअंनियुक्त शिवोद राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। हात जमाबंदी में अमल किया जावे।

दिनांक 19/11/2021 पटवारी (अ.अ.) महोदय, पटवारी महोदय, तहसील-आबूरोड

दिनांक 19/11/2021 ह० भूअंनियुक्त

ह० राजस्व अधिकारी तहसीलदार आबूरोड

ह० उपखण्ड अधिकारी जिला-सिरोही उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड कार्यालय, आबूरोड